

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 124/2022

पीठारिीन अधिकारी - राजकेश गीना (आर.ए.एस.)

## उनयान

- 1 तादू पिता कजोड जाट उम वयरक निवारी हुकमपुरा तहरील फूलियाकला जिला, भीलवाडा

—( प्रार्थीगण)

## बनाम

- 1 अलोल पत्नि भीमडा जाट उम वयरक निवारी हुकमपुरा तहरील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 2 रामनारायण पिता भीमडा जाट उम वयरक निवारी हुकमपुरा तहरील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 3 महादेव पिता रामकिशन जाट उम वयरक निवारी हुकमपुरा तहरील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 4 धीसा पिता बंशी सेन उम वयरक निवारी हुकमपुरा तहरील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 5 प्रहलाद पिता बंशी सेन उम वयरक निवारी हुकमपुरा तहरील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 6 रामेश्वर पिता छोदू जाट उम वयरक निवारी हुकमपुरा तहरील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 7 रंगलाल पिता भैरू जाट उम वयरक निवारी हुकमपुरा तहरील फूलियाकला जिला, भीलवाडा
- 8 भूमिधारी तहरीलदार फूलियाकला जिला भीलवाडा

—( अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 बावत कराने पत्थरगढी आराजीयात

## निर्णय

दिनांक - 05.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 14.07.2022 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल हुकमपुरा भू.अ.नि. धनोप तहरील फूलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 251 के आ.न. 511/1025, 512 किता 2 रकबा 0.33 हैक्टर, भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 14.07.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस वाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल हुकमपुरा भू.अ.नि. धनोप तहरील फूलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 251 के आ.न. 511/1025, 512 किता 2 रकबा 0.33 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसीगण को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बावत सूचित करेगा। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जायें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जायें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहरीलदार फूलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश नरसिंह संलग्न नहीं

(राजकेश गीना)  
उपखण्ड अधिकारी,  
फूलियाकला, जिला भीलवाडा